न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

वादीया	ब	प्रतिवादीगण
कानीदेवी पत्नी भंवरलाल जाति गुर्जर निवासी बड़ला का बास कुचामनसिटी	नाम	टोडूराम पुत्र शिवबक्ष कुम्हार वगैरह निवासी बड़ला का बास कुचामनसिटी

राजस्व वाद – दावा अधिकारो की घोषणा, बंटवारा होल्डिंग व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53,188 R.T.Act 1955

वाद–पत्र नम्बर 107 /2022 GCMS No.2022/ 211

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
22/06/2022	वकील वादी द्वारा यह दावा दावा अधिकारो की घोषणा, बंटवारा होल्डिंग व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53,188 R.T.Act 1955 के तहत विरूद्व प्रतिवादीगण प्रस्तुत किया। राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब होकर पत्रावली दिनॉक 22.07.2022 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)	
04/07/2022	वकील वादी के निवेदन पर पत्रावली इस नम्बर पर ली गई। वादी वकील ने निवेदन किया है कि पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया है इसलिए वाद वादिनी पिड्डोल खारिज फरमाया जावें। प्रार्थना का स्वीकार किया जाता है वाद वादी वादिनी पिड्डोल खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार बेअर नम्बर के बाद होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)	वादी